प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

योजना की विशेषताएं

योजना का उद्देश्य

- पीएमएफबीवाई का उद्देश्य अप्रत्याशित घटनाओं से उत्पन्न फसल नुकसान या क्षति से पीड़ित किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना।

- खेती में उनकी निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए किसानों की आय को स्थिर करना।

- किसानों को नवीन और आधुनिक कृषि पद्धतियां अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना।

- यह कृषि क्षेत्र के लिए ऋण का प्रवाह सुनिश्चित करता है।

I. यह योजना सभी किसानों को राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचित उनकी फसलों के लिए बीमा कवरेज प्रदान करती है।

अधिसूचित क्षेत्रों में अधिसूचित फसलों का उगाने वाले बंटाईदार और किराएदार किसानों समेत सभी किसान कवरेज के लिए पात्र हैं।

- किसानों का अधिसूचित / बीमित फसलों के लिए बीमा हित होना चाहिए।

- यह योजना ऋणी किसानों सहित सभी किसानों के लिए स्वैच्छिक बनाई गई है।

- सभी किसान जिन्होंने अधिसूचित फसल के लिए किसी वित्तीय संस्था (सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, वाणिज्यिक बैंक, निजी बैंक आदि) से ऋण लिया है अर्थात ऋणी हैं और जिन्होंने अंतिम तिथि से 7 दिन पहले योजना से बाहर आने का विकल्प नहीं चुना है, वे अपने वित्तीय संस्थानों द्वारा योजना के तहत नामांकन के पात्र होंगे। फिर बैंक/सीएससी/मध्यस्थ, भारत सरकार के राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (एनसीआईपी) पर www.pmfby.gov.in पर अंतिम तिथि के अंदर किसानों को नामांकित करेंगे।

अऋणी किसानों को आधार कार्ड, स्व-प्रमाणित बुवाई प्रमाण पत्र, सक्रिय बचत खाता की प्रतिलिपि जिस पर खाता संख्या एवं आईएफएससी कोड स्पष्ट अंकित हो, स्वयं के नाम पर

भूमि रिकार्ड/खतौनी की प्रतिलिपि/भू-अधिकार एवं ऋण पुस्तिका/भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र/भू-राजस्व रसीद/पट्टा/संविदा/अधिसूचना अनुसार दस्तावेज अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने होते है।

किसी भी अधिसूचित बीमा इकाई में किसी भी अधिसूचित फसल के लिए पीएमएफबीवाई योजना के तहत बीमा कराने के इच्छुक गैर-ऋणी किसान और खेती करने वाले कृषक अंतिम तिथि के भीतर निकटतम बैंक शाखा/पैक्स/अधिकृत चैनल पार्टनर/बीमा कंपनी के बीमा मध्यस्थ से संपर्क कर सकते हैं, निर्धारित प्रारूप में आवेदन फॉर्म पूरी तरह से भरकर साथ में भूमि/फसल के बीमा के लिए बीमा योग्य हित के बारे में आवश्यक दस्तावेजी साक्ष्य (जैसे स्वामित्व/किरायेदारी/खेती के अधिकार) के साथ बैंक शाखा/बीमा मध्यस्थ/सीएससी केंद्रों में अपेक्षित प्रीमियम जमा करें।

- किसानों को प्रस्ताव में अपनी भूमि की पहचान संख्या का उल्लेख करना चाहिए और खेती योग्य भूमि के कब्जे के संबंध में दस्तावेजी साक्ष्य प्रदान करना चाहिए। कृषक को क्षेत्र बुवाई पुष्टिकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

- किसान को सुनिश्चित करना चाहिए कि उसे केवल एक ही माध्यम से भूमि के टुकड़े में उगाई गई/उगाने के लिए प्रस्तावित अधिसूचित फसल (लों) के लिए बीमा कवरेज प्राप्त हो। किसी डुप्लिकेट या दोहरे बीमा की अनुमति नहीं है और ऐसे किसी भी मामले में किसान कवरेज का पात्र नहीं होगा। बीमा कंपनी ऐसे सभी दावों का रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखेगी और ऐसे मामलों में प्रीमियम भी वापस नहीं करेगी।

- कंपनी ऐसे किसानों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही भी कर सकती है।

- ऋणी किसान बीमित फसल में परिवर्तन करवा सकते है, इसके लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नामांकन की अंतिम तिथि से दो दिन (कार्य दिवस) पहले तक किसान अपने फसल में परिवर्तन की सूचना संबंधित बैंक शाखा में दे सकते है।
- बीमा प्रस्ताव केवल राज्य स्तरीय समन्वय समिति/राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित निर्धारित अन्तिम तिथि तक स्वीकार किए जाते हैं।

॥ कवर की गई फसलें

सभी फसलें जैसे खाद्य और तिलहन की फसलें और वार्षिक वाणिज्यिक/बागवानी फसलें इस योजना के अंतर्गत आती हैं जिनकी पिछली उपज के आंकड़े उपलब्ध है।
बारहमासी फसलों के अलावा, कवरेज के लिए उन बारहमासी बागवानी फसलों को प्रायोगिक आधार पर लिया जा सकता है; जिसकी उपज अनुमान की मानक पद्धति उपलब्ध है।

III योजना के तहत जोखिम कवरेज और बहिष्करण

यह योजना संबंधित राज्य/केंद्रशासित राज्य की फसल बीमा पर राज्य स्तरीय समन्वय समितियों में किए गए निर्णय के अनुसार चयनित फसल आधार पर परिभाषित क्षेत्रों में "क्षेत्र दृष्टिकोण" के सिद्धांत पर संचालित होती है जिसे बीमा इकाई (आईयू), कहा जाता है। इन इकाइयों को ग्राम / प्रमुख फसलों के लिए एवं लघु फसलों के लिए यह राजस्व निरीक्षक मण्डल है।

फसल के निम्नलिखित चरणों और फसल हानि के जोखिमों को भी योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है।

a. बाधित रोपाई/रोपण जोखिम: अधिसूचित क्षेत्र में कम वर्षा अथवा प्रतिकूल मौसमी दशाओं के कारण अधिसूचित मुख्य फसल की बोआई/रोपण/अंकुरण नहीं हो पाने से होने वाली नुकसान से सुरक्षा प्रदान करेगा।

b. स्थानीयकृत आपदाएं: अधिसूचित क्षेत्र में फसल को प्रभावित करने वाली ओलावृष्टि, जलभराव, बादल का फटना और प्राकृतिक आकाशीय बिजली से व्यक्तिगत आधार पर अभिचिन्हित स्थानीयकृत जोखिमों से होने वाले क्षति से सुरक्षा प्रदान करेगा।

c. फसल कटाई उपरांत होने वाले नुकसान: अधिसूचित फसलों के कटाई उपरांत सूखाने अथवा छोटे-छोटे बंडलों में बांध कर खेत में रखे हुए फसल को अधिकतम दो सप्ताह (14 दिन) तक चक्रवात, चक्रवातीय वर्षा एवं बेमौसमी वर्षा से होने वाले क्षति से सुरक्षा प्रदान करेगा।

नोट: युद्ध, नाभिकीय जोखिमों से होने वाली हानि, दुर्भावना-जनित क्षति और अन्य निवारणीय जोखिम इसमें शामिल नहीं है।

IV. विभिन्न फसलों के लिए लागू क्षतिपूर्ति स्तर

योजनांतर्गत खरीफ फसल धान सिंचित में 90% व धान असिंचित, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी, मूंगफली, सोयाबीन, तुअर (अरहर), मूंग एवं उड़द फसल हेतु 80% क्षति स्तर तथा रबी फसल चना हेतु 90% व गेहूं सिंचित, गेहूं असिंचित, राई-सरसी एवं अलसी फसल हेतु 80% क्षति स्तर निर्धारित है।

V. प्रीमियम

किसानों द्वारा देय अधिकतम प्रीमियम सभी खरीफ खाद्य और तिलहनी फसलों के लिए 2%, रबी खाद्य और तिलहन फसलों के लिए 1.5% और वार्षिक वाणिज्यिक/बागवानी फसलों के लिए 5%, या बीमांकिक प्रीमियम दर जो भी कम हो, के लिए होगा। किसानों द्वारा देय प्रीमियम और बीमा शुल्क की दर के बीच का अंतर केंद्र और राज्य द्वारा समान रूप से साझा किया जाएगा।

- नोट: राज्य सरकार की अधिसूचना में परिभाषित ऋणी और गैर-ऋणी किसानों के लिए मौसमी अनुशासन लागू होगा और मौसम में संबंधित फसल के लिए लागू निर्दिष्ट कट ऑफ तारिख से पहले किसानों को आवश्यक रूप से नामांकन करना होगा।
- थ्रेशोल्ड यील्ड (टी वाई) मापदंड उपज स्तर होगी, जिस पर किसी बीमा में सभी बीमित को बीमा सुरक्षा दी जाएगी।

- इंश्योरेंस यूनिट (आई यू) में अधिसूचित फसल की औसत उपज पिछले सात वर्षों में से सर्वश्रेष्ठ पाँच वर्षों की औसत उपज होगी। अधिसूचित फसल की थ्रेसहोल्ड पैदावार औसत स्तर के बराबर है जो क्षतिपूर्ति स्तर से कई गुना अधिक है।

VI. दावा निपटान के आधार

दावा भुगतान का क्षेत्र निम्नलिखित के अधीन क्षेत्र दृष्टिकोण के आधार पर किया जाएगा:

a. राज्य को अधिसूचित बीमा इकाई क्षेत्र के स्तर पर फसल कटाई प्रयोग (CCEs) की अपेक्षित संख्या का संचालन करना है और CCE आधारित उपज का डेटा संबंधित अधिसूचित बीमा क्षेत्र को देय दावों की गणना करने के लिए निर्धारित समय सीमा के भीतर बीमा कंपनी को प्रस्तुत करना होगा।

b. फसल कटाई प्रयोग (सीसीई) प्रति इकाई क्षेत्र/प्रति फसल पर स्लाइडिंग पैमाने पर किए जाएंगे जैसा योजना की रूपरेखा और परिचालन दिशानिर्देशों के तहत है।

c. स्मार्ट सैंपलिंग तकनीक (एसएसटी) जैसे आधुनिक प्रौद्योगिकी समाधान, सीसीई की अखंडता को जीपीआरएस सक्षम मोबाइल स्मार्ट फोन का उपयोग कर सत्यापित करने और जीओआई ऐप द्वारा नुकसान का आकलन और रीयल टाइम डेटा एनसीआईपी पोर्टल पर अपलोड करने के लिए।

d. फसल क्षति के आकलन के लिए सीसीई पर निर्भरता में कमी और प्रौद्योगिकी पर अधिक निर्भरता।

e. राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों को भुगतान निपटान और प्रॉक्सी संकेतकों के उपयोग के उद्देश्य से स्वचालित मौसम नेटवर्क की सुविधा प्रदान करनी चाहिए।

f. थ्रेसहोल्ड यील्ड (टी वाई) बेंचमार्क यील्ड लेवल होगा, जिस पर बीमा कृत यूनिट के सभी बीमित किसानों को बीमा सुरक्षा दी जाएगी, अधिसूचित फसल का थ्रेसहोल्ड होगा, इंश्योरेंस यूनिट (आई यू) में अधिसूचित फसल की औसत उपज पिछले सात वर्षों में सर्वश्रेष्ठ पाँच वर्षों की औसत उपज होंगी अधिसूचित फसल की थ्रेसहोल्ड पैदावार औसत स्तर के बराबर है जो क्षतिपूर्ति स्तर से कई गुना अधिक है।

महत्त्वपूर्ण नोट:

1. किसान इस योजना के तहत अपनी निकटतम बैंक शाखाओं, निकटम सीएससी केंद्र या आईआरडीए द्वारा अधिकृत बीमा मध्यस्थ के माध्यम से नामांकन कर सकते हैं।

2. सभी नामांकनों को आवश्यक रूप से संबंधित राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना अनुसार पूरा किया जाता है एवं बैंक या मध्यस्थ द्वारा प्रीमियम राशि बीमा कंपनी में परभाषित अंतिम तिथि के भीतर जमा करने की आवश्यकता है।

3. यदि किसान फसल को बदलता है, तो उसे बीमा कंपनी को वित्तीय संस्थान / चैनल पार्टनर / बीमा मध्यस्थ एवं स्वयं के माध्यम से बुवाई के कम से कम 02 दिन पहले सूचित करना चाहिए; राज्य के संबंधित गावं/उप-जिला स्तर के अधिकारी द्वारा जारी बुवाई प्रमाण पत्र के साथ, अंतरिम प्रीमियम देय, यदि कोई हो। यदि प्रीमियम का भुगतान अधिक था, तो बीमा कंपनी अतिरिक्त धन वापसी करेंगी।

4. किरायेदार, बटाईदार किसानों को कवरेज प्राप्त करने के मामले में भूमि के मालिक के साथ अनुबंध समझौता, किराया / पट्टा विलेख इत्यादि दस्तावेजों को नामांकन के समय प्रदान की जाना चाहिए।

5. इस योजना के लिए सेवाकर छूट दी गई है।